

2021/112

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कैम्प..... देवाण्ड ..... उपखण्ड  
भोपालगढ

क्रमांक / प्र. शो. के. सं. प्र / 2021 / 19

दिनांक 06/10/2021

प्रेषित :- तहसीलदार भोपालगढ

विषय :- DILRMP के तहत की गई गलत तरमीम/रेकर्ड दुरुस्ती करने बाबत।

(एल. आर. एक्ट की धारा 131 व 136 के तहत)

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्राम..... देवाण्ड ..... खसरा नम्बर 616, 616/2  
रकबा 4.1521 हे. 1.3112 किस्म..... जमीनी ..... की तरमीम/रेकर्ड दुरुस्ती के तहत प्राप्त  
के आवेदन पत्र, निरीक्षक, पटवारी..... देवाण्ड ..... एवं तहसीलदार भोपालगढ की अनुशंषा  
रिपोर्ट के आधार एवं राजस्व रेकर्ड के अनुसार खसरा नक्शा भूमि में तरमीम/रेकर्ड दुरुस्ती  
की स्वीकृति दी जाती है एवं आदेशित किया जाता है की दुरुस्ती अनुसार राजस्व रेकर्ड /  
नक्शे में इन्द्राज करे।

..... देवाण्ड .....  
6/10/21  
उपखण्ड अधिकारी  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ (जयपुर)

क्रमांक / प्र. शो. के. सं. प्र / 2021 / 20

दिनांक 06/10/2021

प्रतिलिपि :-

1. प्रार्थी..... देवाण्ड ..... को सूचनार्थ।

..... देवाण्ड .....  
6/10/21  
उपखण्ड अधिकारी  
सहायक कलेक्टर  
एवं उपखण्ड अधिकारी  
भोपालगढ (जयपुर)



..... देवाण्ड .....  
6/10/21

..... देवाण्ड .....

..... देवाण्ड .....  
6/10/21  
015

